उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-6/2015/883/तीस-4-2015-135/89
लखनऊ दिनांक 20 जुलाई, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 56 के उप नियम (8) और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-एम 2452/तीस-4-2008-135/89, दिनांक 11 नवम्बर, 2008, जो सरकारी अधिसूचना संख्या-223/तीस-4-2014-135/89, दिनांक 26 मई, 2014 द्वारा संशोधित की गयी थी, में आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से स्तम्भ-2 में उल्लिखित संभागीय परिवहन प्राधिकरण का गठन करते हैं, जिसमें स्तम्भ-3 में प्रत्येक के सामने उल्लिखित सदस्य समाविष्ट होगें, जो नीचे अनुसूची के क्रमश: स्तम्भ-4 एवं 5 में उल्लिखित संभागों एवं क्षेत्रों में अपनी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगें।

अनुसूची

क्र0 सं0	संभागीय परिवहन प्राधिकरण का नाम	संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सदस्य	संभाग का नाम	क्षेत्र
1	2	3	4	5
4	संभागीय परिवहन प्राधिकरण, मेरठ	1.आयुक्त, मेरठ मण्डल -अध्यक्ष 2.श्रीमती प्रेमा यादव, पत्नी श्री घनश्याम यादव, निवासी 5175 शास्त्रीनगर, मेरठ -सदस्य	मेरठ	मेरठ व बागपत जिले।
5	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, वाराणसी	1.आयुक्त, वाराणसी मण्डल -अध्यक्ष 2.श्री सोमनाथ यादव, पुत्र श्री राम नवमी यादव निवासी एस-8/395, ए-15 खजुरी गोला वाराणसी -सदस्य	वाराणसी	वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और चन्दौली जिले
12	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अलीगढ़	1.आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल -अध्यक्ष 2.श्री अफजाल हमीद पुत्र श्री अब्दुल हमीद निवासी 3/377 बेगपुर गली नं0 3 अलीगढ़ -सदस्य	अलीगढ़	अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा जिले
13	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, आगरा	1.आयुक्त, आगरा मण्डल -अध्यक्ष 2.श्रीमती रितु सक्सेना, पुत्री श्री कैलाश सक्सेना निवासी अजयनगर गोवर्धन रोड, मथुरा -सदस्य 3.श्री मो0 उजैर आलम पुत्र श्री अब्दुल खुद्दूस, 15/70-1, आनन्द कम्पलेक्स, सोरो कटरा, आगरा -सदस्य	आगरा	आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी जिले

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, चित्रकूटधाम	1.आयुक्त, चित्रकुटधाम मण्डल -अध्यक्ष 2.श्री ए0एस0 नोमानी, पुत्र श्री सदरूल हसन निवासी मोहल्ला जरैली कोठी मजार के पास सिविल लाइन, बॉदा -सदस्य	चित्रकूट	चित्रकूट, बॉदा, महोबा और हमीरपुर जिले

संबंधित सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष संभागीय परिवहन प्राधिकरण के उपरोक्त नामित गैर-सरकारी सदस्यों से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिये कहेगे कि वे किसी परिवहन व्यवसाय के न तो स्वामी हैं और न ही सेवा के कार्मिक हैं और उनका किसी परिवहन व्यवसाय में निहित स्वार्थ नहीं है।

आज्ञा से,

कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-6/2015/883(1)/तीस-4-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 20 जुलाई, 2015 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-6/2015/883(2)/तीस-4-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम, लखनऊ।
4- निदेशक, यातायात, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
6- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- श्रीमती प्रेमा यादव, पत्नी श्री घनश्याम यादव, निवासी 5175 शास्त्रीनगर, मेरठ।
11- श्री सोमनाथ यादव, पुत्र श्री राम नवमी यादव निवासी एस-8/395, ए-15 खजुरी गोला वाराणसी।
12- श्री अफजाल हमीद पुत्र श्री अब्दुल हमीद निवासी 3/377 बेगपुर गली नं0 3 अलीगढ़।
13- श्रीमती रितु सक्सेना, पुत्री श्री कैलाश सक्सेना निवासी अजयनगर गोवर्धन रोड, मथुरा।
14- श्री ए0एस0 नोमानी, पुत्र श्री सदरूल हसन निवासी मोहल्ला जरैली कोठी मजार के पास सिविल लाइन, बॉदा।
15- श्री मो0 उजैर आलम पुत्र श्री अब्दुल खुद्दूस, 15/70-1, आनन्द कम्पलेक्स, सोरो कटरा, आगरा
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.883/XXX-4-2015-135/89 dated, July 20, 2015.

Notification

No.6/2015/883/ xxx-4-2015-135/89
Lucknow: Dated, July 20, 2015

In exercise of the powers under sub-sections (1) and (2) of section-68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no.59 of 1988) read with sub-rule (8) of rule 56 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 and section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of Government Notification no.2452/30-4-2008-135/89 dated, November 11, 2008 as amended by Government notification No.223/xxx-4-2014-135/89 dated May 26, 2014 the Governor is pleased to constitute with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the Regional Transport Authorities mentioned in column-2 consisting of the members mentioned against each in column-3 to exercise and discharge their powers and functions in their respective regions and areas mentioned against each in column 4 and 5 respectively of the Schedule below:-

SCHEDULE

Sr. No.	Name of the Regional Transport Authority	Members of the Regional Transport Authority	Name of the Region	Area
1	2	3	4	5
4.	Regional Transport Authority, Meerut	1-Commissioner, Meerut -Chairman 2-Smt. Prema Yadav W/o Sri Ghanshyam Yadav, R/o 5175 Shastri Nagar Meerut. -Member	Meerut	Meerut and Bagpat Districts.
5.	Regional Transport Authority, Varanasi	1-Commissioner, Varanasi -Chairman 2-Sri SomnathYadav S/o Sri Ramnavmi Yadav R/o S-8/395, A-15 Khajuri Gola, Varanasi -Member	Varanasi	Varanasi, Ghazipur, Jaunpur and Chandauli Districts.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12.	Regional Transport Authority, Aligarh	1-Commissioner, Aligarh -Chairman 2-Sri Afjal Hameed S/o Sri Abdul Hameed, R/o 3/377, Begpur Gali No. 3, Aligarh -Member	Aligarh	Aligarh, Hathrash, Kashganj, Etah Districts.
13.	Regional Transport Authority, Agra	1- Commissioner, Agra -Chairman 2- Smt. Ritu Saxena,D/o Sri Kailash Saxena, R/o Ajay Nagar Goverdhan Road, Mathura. -Member 3- Sri Moh. Ujair Alam S/o Sri Abdul Khuddus, 15/70-1 Anand Complex, Soro Katra, Agra -Member	Agra	Agra, Firozabad, Mathura and Mainpuri Districts.
16.	Regional Transport Authority, Chitrakut Dham	1-Commissioner, Chitrakut Dham -Chairman 2-Sri A.S. Nomani S/o Sri Sadrul Hasan R/o Moh. Jaraili Kothi, Mazar ke pass, Civil Line, Banda. -Member	Chitrakut Dham	Chitrakut, Banda, Mahoba, Hameerpur Districts.

The Chairman of the concerned Regional Transport Authority shall ask the above mentioned nominated non-Government Members of the Regional Transport Authority to produce an affidavit to the this effect that they are neither the proprietor of any transport business, nor the service personnel and they have no vested interests in any transport business.

By Order,

(Kumar Arvind Singh Deo)
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।